न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी– परशुराम धानका
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
72 / 2019 / प्रा.पत्र / 2019	03.12.2019	24.06.2022

सत्यनारायण गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

.....आवेदक

बनाम

1–श्री भोजराज सिन्धी पुत्र श्री चन्नामल सिन्धी जाति सिन्धी निवासी 3 / हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी टोंक जिला टोंक एफ.बी.ओ. मैसर्स झूलेलाल शर्बत सेन्टर एण्ड आईसक्रीम पार्लर बडा कुऑ जवाहर बाजार टोंक जिला टोंक
2–मैसर्स झूलेलाल शर्बत सेन्टर एण्ड आईसक्रीम पार्लर बडा कुऑ जवाहर बाजार टोंक जिला टोंक
3–श्री हीरालाल प्रेमजानी पुत्र श्री भोजूमल प्रेमजानी प्रोपरायटर मैसर्स हीरालाल वासुदेव अबूबकर मस्जिद दुकान नं. 13 रजबन घोषियों का मोहल्ला टोंक राज.
4– मैसर्स हीरालाल वासुदेव अबूबकर मस्जिद दुकान नं. 13 रजबन घोषियों का मोहल्ला टोंक राज.
5–श्री मो. तौकिर खॉन नॉमिनी मैसर्स झोटिक फ्राजूस प्राईवेट लिमिटेड प्लॉट नं. 169 / 5 (71), पांचाल उद्योग नगर, भीमपोर दमन, दमन एण्ड दीव
6– मैसर्स झोटिक फ्राजूस प्राईवेट लिमिटेड प्लॉट नं. 169 / 5 (71), पांचाल उद्योग नगर, भीमपोर दमन, दमन एण्ड दीव

.....अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) एवं दण्डनीय धारा 52 (सहपठित धारा 49)

उपस्थित–
1–पेरोकार सरकार उपस्थित।
2–अभिभाषक अप्रार्थीगण श्री मो. सलीम एड. उप.।

:–निर्णय–: दिनांक 24.06.2022

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 21.05.2019 को समय 06:30 पी.एम. पर मैसर्स झूलेलाल शर्बत सेन्टर एण्ड आईसक्रीम पार्लर बडा कुऑ जवाहर बाजार टोंक जिला टोंक पर पहुंचा। वहॉ श्री भोजराज सिन्धी पुत्र श्री चन्नामल सिन्धी मिला, को अपना परिचय दिया एवं उनसे परिचय लिया तथा पूछने पर श्री भोजराज सिन्धी ने स्वयं को मैसर्स झूलेलाल शर्बत सेन्टर एण्ड आईसक्रीम पार्लर बडा कुऑ जवाहर बाजार टोंक जिला टोंक का एकमात्र मालिक होना बताया तथा खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र नहीं होना जाहिर किया।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

आवेदक द्वारा दुकान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय करने हेतु दुकान में कागज के 10 कार्टून में लगभग 120 मूल पैक बोतल पैक्ड अवस्था में प्रत्येक 1–1 लीटर पैक **जीरा फ्लेवर्ड कार्बोनेटेड बेवरेजेज (जीरू ब्राण्ड)** रखा हुआ था, जिसे देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने का अन्देशा होने पर विक्रेता श्री भोजराज सिन्धी को फार्म नं. 5 ए दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर, विक्रेता को सूचित कर दोनों प्रतियों में विक्रेता श्री भोजराज सिन्धी व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर मय सील मोहर किये तथा एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि यह **जीरा फ्लेवर्ड कार्बोनेटेड बेवरेजेज (जीरू ब्राण्ड)** जिसके बैच नम्बर एडी–21 एवं पैंकिंग की दिनांक 21.04.2019 थी, वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किए जा रहे है, 1–1 लीटर के 12 मूल पैक बोतल खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक ने खरीदशुदा **जीरा फ्लेवर्ड कार्बोनेटेड बेवरेजेज (जीरू ब्राण्ड)** 1–1 लीटर के 12 मूल पैक बोतल को ज्यों का त्यों 3–3 नग के बराबर–बराबर नियमानुसार चार भाग तैयार कर चारो नमूना भागों के लिए नियमानुसार चार लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया और प्रत्येक लेबल पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गये खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई–2228 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करायें। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेटकर सिर मुंह को गोद से अच्छी तरह चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप न. आई–2228 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येंक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवें। चारों नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया व मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

श्री भोजराज सिन्धी पुत्र श्री चन्नामल सिन्धी मैसर्स झूलेलाल शर्बत सेन्टर एण्ड आईसक्रीम पार्लर बडा कुआँ जवाहर बाजार टोंक ने मौके पर बतौर वारन्टी कोई खरीद बिल पेश नहीं किया तो आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा पत्र प्रेषित कर बतौर वारन्दी खरीद बिल चाहा गया जिसके प्रतिउत्तर में उक्त फर्म के व्यवहारी ने बतौर वारन्टी मैसर्स हीरालाल वासुदेव अबूबकर मस्जिद दुकान नं. 13 रजबन घोषियों का मोहल्ला टोंक राज. का वारंटी बिल पेश कर उक्त खाद्य पदार्थ क्रय करना बताया।

आवेदक ने मैसर्स हीरालाल वासुदेव अबूबकर मस्जिद दुकान नं. 13 रजबन घोषियों का मोहल्ला टोंक राज. को पत्र प्रेषित कर फार्म नं. 5ए की सूचना व आवश्यक दस्तावेज चाहे गये जिसके प्रतिउत्तर में उक्त फर्म के व्यवहारी ने अपनी फर्म के दस्तावेज एवं मैसर्स झोटिक फाजूरा प्राईवेट लिमिटेड प्लॉट नं. 169/5 (71), पांचाल उद्योग नगर, भीमपोर दमन, दमन एण्ड दीव का वारंटी बिल पेश कर उक्त खाद्य पदार्थ क्रय करना बताया।

आवेदक ने मैसर्स झोटिक फाजूरा प्राईवेट लिमिटेड प्लॉट नं. 169/5 (71), पांचाल उद्योग नगर, भीमपोर दमन, दमन एण्ड दीव को पत्र प्रेषित कर फार्म नं. 5ए की

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

सूचना व आवश्यक दस्तावेज चाहे गये जिसके प्रतिउत्तर में उक्त फर्म के व्यवहारी ने अपनी फर्म के दस्तावेज प्रेषित किया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./19/1502 दिनांक 24.06.2019 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. एलएस/1310/एक्ट/2019/644 दिनांक 19.06.2019 के अनुसार विक्रेता श्री भोजराज सिन्धी से वास्ते मानक स्तर की जांच कराने हेतु क्रय किया गया **जीरा फ्लेवर्ड कार्बोनेटेड बेवरेजेज (जीरू ब्राण्ड)** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व विनियम 2011 की धारा **3(1)(zf)(C)(i)** के अनुसार **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया। प्रकरण में अप्रार्थीगण ने **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का **जीरा फ्लेवर्ड कार्बोनेटेड बेवरेजेज (जीरू ब्राण्ड)** का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 (सहपठित धारा49) में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभिभाषक अप्रार्थीगण श्री मो.सलीम उपस्थित हुए एवं अप्रार्थीगण की ओर से जुर्म स्वीकार किया। प्रकरण में पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र पर अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस **जीरा फ्लेवर्ड कार्बोनेटेड बेवरेजेज (जीरू ब्राण्ड)** का विक्रय कर रहे थे वह जांच में **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया है, इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **जीरा फ्लेवर्ड कार्बोनेटेड बेवरेजेज (जीरू ब्राण्ड)** नमूना जांच में **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 52 (सहपठित धारा 49) के अन्तर्गत जुर्माना की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी सं. 1 व 2 पर कुल शास्ति रूपये 30,000/– (अक्षरे तीस हजार रू0), अप्रार्थी सं. 3 व 4 पर कुल शास्ति रूपये 30,000/– (अक्षरे तीस हजार रू0) तथा अप्रार्थी सं. 5 व 6 पर कुल शास्ति रूपये 1,00,000/– (अक्षरे एक लाख रूपये) आरोपित जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 24.06.2022 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। निर्णय की प्रति अप्रार्थी एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक को प्रेषित की जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 24.06.2022 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(परशुराम धानका)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0